



श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति

सीकर (शेखावाटी) रोड, जयपुर - 302 023

दिलीप सिंह छापोली
अध्यक्ष

राजेन्द्र सिंह बगड़
सचिव

क्रमांक

दिनांक

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, सीकर रोड, जयपुर की कार्यकारी परिषद् की बैठक दिनांक 19.06.2010 के प्रस्ताव संख्या 08 की सत्यप्रति :-

08. सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव किया कि श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय वर्तमान में श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय के पूर्व की ओर देखते हुए मुख्य भवन के पीछे श्री भवानी निकेतन महिला छात्रावास से उत्तर की ओर श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल की ओर जाने वाली 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के भवन के भूतल पर इस भवन के फ्रन्ट एवं उत्तरी भुजा में संचालित किया जा रहा है। विधि महाविद्यालय संचालित किये जा रहे भवन को राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया की गाईड लाईन एवं आवश्यकतानुसार श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने की आवश्यकता है। इस विधि महाविद्यालय के उपयोग में लिये जा रहे भवन में 11 कमरें, 11 सुविधाएं, दोनों तरफ बरामदें, पोर्च, रिसेप्शन कम असेम्बली हॉल, विधि महाविद्यालय संचालन हेतु उपयोग में लिये जा रहे हैं। भवन के सामने पार्किंग स्थल एवं पिछवाड़े में खेल मैदान हेतु खाली भूमि स्थित है, जिसका कुल माप उत्तर-दक्षिण 94 मीटर एवं पूर्व-पश्चिम 40 मीटर है अर्थात् कुल क्षेत्रफल 3760 वर्गमीटर ग्राम बीड़ सरकार तहसील जयपुर जिला जयपुर के ट्रस्ट के खसरा नं० 10 में स्थित है। आज की बैठक में उपस्थित विधि महाविद्यालय की प्राचार्या के साथ मिलकर मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित 3760 वर्गमीटर में भूतल पर निर्मित भवन एवं खाली भूमि का आवंटन स्थायी रूप से श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय को किया जावे, जिससे वहाँ पर विधि की शैक्षणिक गतिविधियों को स्थायित्व प्रदान करते हुए संचालित किया जा सकें।

बाद विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव द्वारा रखे गये प्रस्ताव को अक्षरशः स्वीकार किया जावे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मत मांगे जाने पर सचिव द्वारा रखा गया प्रस्ताव संख्या 08 सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सचिव को अधिकृत किया गया।

Slater
प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय
शेखावाटी रोड, जयपुर